

विषय-सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं
प्रावक्थन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय—I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों का रुझान	1.2	1
राजस्व के बकाये का विश्लेषण	1.3	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन—सारांशीकृत स्थिति	1.4	7
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.5	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	9
प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन	1.7	9
अध्याय-II: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	2.1	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	11
आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा छिपाने के कारण राजस्व एवं उस पर ब्याज की वसूली न होना	2.3	12
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे०अ०शु०)/अनुज्ञापन शुल्क (अ०शु०) तथा प्रतिभूति जमा का सम्पहरण किये जाने में विफलता	2.4	15
आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि	2.5	16
अध्याय-III: बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
कर प्रशासन	3.1	19
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	19
टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना	3.3	21
कर की गलत दर का लगाया जाना	3.4	22
फार्म 'सी' के विरुद्ध क्रय किये माल पर अनियमित रियायत की अनुमन्यता	3.5	24
व्यापारियों को अननुमन्य आई०टी०सी० की अनुमन्यता	3.6	25
स्रोत पर काटे गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना	3.7	27

अध्याय—IV: स्टाम्प एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	4.1	29
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	29
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण, आवंटन व लेखाकरण में प्रणालीगत कमियाँ	4.3	30
स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	4.4	32
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	4.5	33
पट्टा विलेखों से सम्बन्धित अनियमिततायें	4.6	34
अध्याय—V: खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	5.1	37
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	37
जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (जिओखोफाओन्याइ) के निर्माण के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना	5.3	38
अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड से संबंधित नियमों में संशोधन करने में राज्य सरकार की विफलता	5.4	41
परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया	5.5	45
खनिजों का अनधिकृत उत्थनन	5.6	46
प्रतिभूति की धनराशि एवं रॉयल्टी की किश्त को विलम्ब से जमा करने के कारण पूर्व बोली बयाना धनराशि जब्त नहीं किया जाना	5.7	48
ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना—पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	5.8	48
विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभार्य न किया जाना	5.9	49
अध्याय—VI: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	6.1	51
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	51
शासकीय प्राप्तियों का गबन	6.3	52
जे०एन०एन०यू०आर०एम० बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित न किया जाना	6.4	54
अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण	6.5	55
राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना	6.6	56
परिशिष्टियाँ		59—93